सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 9, सोमवार, शाके 1944-मई 30, 2022 *Jyaistha 9, Monday , Saka 1944- May 30, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 23, 2022

संख्या प.4(16) कृषि/ग्रुप-2/2018:-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक प.4(16) कृषि/ग्रुप-2/2018 जयपुर, दिनांक 25.09.2018 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, बाडमेर के क्षेत्र में से पंचायत समिति, चौहटन, सेडवा एवं धनाऊ के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नयी कृषि उपज मण्डी समिति, चौहटन के नाम से स्थापित किये जाने के आशय की घोषणा की गई थी।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, बाडमेर के घोषित क्षेत्र में से पंचायत समिति, चौहटन, सेडवा एवं धनाऊ के समस्त क्षेत्र को पृथक करने की घोषणा करती है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार घोषणा करती है कि राजस्थान राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में पंचायत समिति, चौहटन, सेडवा एवं धनाऊ का समस्त क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति, चौहटन का मण्डी क्षेत्र होगा।

अधिनियम की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के प्रयोग के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, चौहटन का नियमन करती है तथा इस कृषि उपज मण्डी समिति को "द" श्रेणी में वर्गीकृत करती है।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कृषि उपज मण्डी समिति, चौहटन को प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण राजस्व मण्डी समिति, चौहटन के प्रथम बोर्ड के गठन होने तक कृषि उपज मण्डी समिति, बाडमेर में पूर्ववत् जमा होगा तथा मण्डी समिति चौहटन के प्रथम बोर्ड गठन होने के पश्चात उक्त जमा राशि मण्डी समिति, बाडमेर द्वारा मण्डी समिति चौहटन को स्थानान्तरित की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नसीम खान,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।